सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय (जनरल)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा-शेवा
JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE, NHAVA-SHEVA,
तालुका : उरण, जिला-रायगड /Taluka: URAN, DIST- RAIGAD, महाराष्ट्र /MAHARASHTRA-400707

फा संख्या : S5/जनरल-01/2015 हिन्दी(पार्ट फ़ाइल) दिनांक: 11.04.2019

-: परिपत्र/CIRCULAR :-

विषय : अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना।
Sub : Incentive Scheme for giving dictation in Hindi by the Officers –Reg.

****

भारत सरकार, राजभाषा विभाग के का. ज्ञा. संख्या II/12013/1/89 रा.भा. (क-2) दिनांक 6.03.1989 एवं 12013/01/11 रा.भा.(नीति) दिनांक 14.09.2016 के निर्देशानुसार सीमाशुल्क मुंबई अंचल II में उच्च अधिकारियों को हिन्दी के अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है।

'क' एवं 'ख' क्षेत्र के सभी अधिकारियों में से किसी एक (01) अधिकारी को पुरस्कार - रु. 5,000/-

'ग' क्षेत्र के सभी अधिकारियों में से किसी एक (01) अधिकारी को पुरस्कार - रु. 5,000/-

पात्रता / Eligibility :

ऐसे सभी अधिकारी जो समान्यतः हिन्दी में डिक्टेशन देते हैं या जिनको आशुलिपिक उपलब्ध हो, वे इस प्रोत्साहन योजना में शामिल हो सकते हैं।

अधिकारी स्वयं अपने डिक्टेशन का रेकॉर्ड संलग्न प्रपत्र के अनुसार रखेगे या उनके आशुलिपिक/स्टेनो उस ब्योरे को वर्ष भर रखेंगे।

विभागाध्यक्ष या मूल्यांकन हेतु गठित की गई समिति इस योजना के लिए स्वयं ही न्यूनतम शब्द सीमा निर्धारित कर सकती हैं । मूल्यांकन हेतु गठित समिति ही पुरस्कार का निर्धारण करेगी।

राजीव शंकर
(राजीव शंकर)
संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क (पी&ई)

संलग्नक : प्रोफ़ार्मा

प्रतिलिपि : सभी अधिकारीगण- सूची के अनुसार

<u>प्रोफ़ार्मा</u>

श्री/श्रीमती/सुश्री ______________________(पदनाम)______________________ का हिन्दी में दिये गए डिक्टेशन का वार्षिक विवरण

क्रम संख्या एवं दिनांक	डिक्टेशन से लिखे गए शब्दों की संख्या	फ़ाइल संख्या	टिप्पणी (यदि कोई हो)

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय ,एन एस (जनरल)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (General)

जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा-शेवा

JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE, NHAVA-SHEVA,

तालुका : उरण, जिला-रायगड /Taluka: URAN, DIST- RAIGAD, महाराष्ट्र /MAHARASHTRA-400707

फा संख्या : S5/जनरल-01/2015 हिन्दी(पार्ट फ़ाइल) दिनांक: 11.04.2019

-: परिपत्र / CIRCULAR :-

विषय :सरकारी कामकाज तथा टिप्पण एवं आलेखन मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना ।
Sub : Incentive Scheme for performing official work and noting / drafting originally in Hindi.

****

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं भारत सरकार के राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार, सीमाशुल्क मुंबई अंचल-II में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से हिन्दी में किए जा रहे टिप्पण एवं आलेखन कार्य (original noting and drafting in Hindi), रजिस्टरों में प्रविष्टि, लेखा आदि (ntries in the register, accounting work in Hindi) कार्य करने हेतु वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) की अवधि के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है । सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 2000/-

पात्रता / Eligibility :

'क' एवं 'ख' क्षेत्र के सभी अधिकारी/कर्मचारी जो कि एक वर्ष में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन, रजिस्टरों में प्रविष्टि, लेखा कार्य आदि कार्य करते हुए कम से कम हिन्दी के 20 हजार शब्द लिखते हों और 'ग' क्षेत्र के सभी अधिकारी/कर्मचारी जो कि उक्त काम करते हुए एक वर्ष में हिन्दी के कम से कम 10 हजार शब्द लिखते हों । मूल्यांकन हेतु 100 अंक में से 70 अंक हिन्दी में काम की मात्रा एवं 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे । जिन प्रतिभागियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया या असमिया होगी, उनको 20% तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा ।

क-क्षेत्र -	UP, MP, Delhi, Himanchal Pradesh, Rajasthan, Haryana, Bihar, Jharkahand, Uttarakhand, Chattisgarh, Andaman & Nicobar island
ख -क्षेत्र-	Maharashtra, Gujrat, Punjab, Chandigarh UT
ग-क्षेत्र -	North-Eastern states, Goa, Orissa, Kerala, WB, Telangana, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Karnataka, J&K, Lakshyadeep

अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिन्दी के कार्यों का लेखा-जोखा रखने संबन्धित निर्देश :

प्रतियोगी प्रतिदिन **संलग्न प्रोफ़ार्मा** में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा जोखा रखेगे और प्रत्येक सप्ताह लेखे-जोखे का अनुभाग प्रमुख द्वारा उस रेकॉर्ड का सत्यापन करके प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा । अंत में 01 वर्ष के उपरांत मूल्यांकन समिति द्वारा कार्यों का मूल्यांकन करके पुरस्कार निर्धारित किए जाएंगे ।

हिन्दी अधिकारी, हिन्दी आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं ।

राजीव शंकर

(राजीव शंकर)

संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क (पी&ई)

संलग्नक : प्रोफ़ार्मा

प्रतिलिपि : सभी अधिकारीगण / सभी अनुभाग – सूची के अनुसार

प्रोफ़ार्मा

दिनांक : से प्रारम्भ

श्री/श्रीमती/सुश्री ______________________(पदनाम)________________ का हिन्दी में मूल काम का विवरण

क्रम	तिथि (सप्ताहवार)	फ़ाइल नंबर, रजिस्टरों का शीर्षक, जिन पर हिन्दी का कार्य किया गया । (सप्ताहवार विवरण)	हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिन्दी में किए गए अन्य सरकारी कार्य		सप्ताह के दौरान कुल शब्द	अनुभाग प्रमुख द्वारा सप्ताह के अंत में सत्यापन के बाद हस्ताक्षर
				संक्षिप्त ब्योरा	शब्दों की संख्या		